प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 25.08.2026

दिनांक: 21.08.2026 को थाना क्षेत्र वेव सिटी के अंतर्गत वादी गिलमान पुत्र नईमुद्दीन निवासी अलीबाग कालोनी मेरठ से स्कॉर्पियो गाड़ी सवार बदमाशो द्वारा 24 लाख 85 हज़ार रूपये की लूट की गई थी।*जिसके सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर मु0अ0सं0-0220/2026 धारा 309(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक: 25.08.2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा कमिश्नरेट गाजियाबाद व स्वाट टीम, नगर जोन एवं थाना वेव सिटी पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में उपरोक्त घटना के अनावरण व घटना में शामिल अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्तगण के कब्जे से लूटे गए 05 लाख रुपए, 02 अवैध तमंचा 0.315 बोर, 04 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर, 04 खोखा कारतूस 0.315 बोर, बिना नंबर की स्पलेंडर मोटर साइकिल बरामद।

पुलिस मुठभेड/गिरफ्तारी का विवरणद- आज दिनांकः 25.08.2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि थाना वेव सिटी के मु0अ0सं0 0220/2026 में वांछित अभियुक्तगण स्प्लेंडर मोटर साइकिल से थाना क्षेत्र वेव सिटी क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना पर स्वाट टीम, अपराध शाखा व स्वाट टीम नगर जोन एवं थाना वेव सिटी पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र वेव सिटी में राजा जी रोड पर चैकिंग करने लगे। दौराने चैकिंग 01 बिना नंबर की स्पलेंडर मोटर साइकिल पर 02 व्यक्ति सवार सामने से आते दिखाई दिए, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस चैकिंग व पुलिस टीम से घिरता देख मोटर साइकिल सवार दोनों व्यक्ति मोटर साइकिल को मोड़कर वापस भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर मोटर साइकिल को छोड़कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। जबाबी कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ में भाग रहे दोनों व्यक्ति पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर गए। जिनको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

पूछताछ पर घायल व्यक्तियों ने अपना-अपना नाम सद्दाम पुत्र आफाक निवासी नीलमणि कॉलोनी अर्थला पीर के पीछे गली न 4 थाना साहिबाबाद व आसिफ पुत्र एहसान निवासी फदल्ले पुर रोड बाबू भारती गली नं 35 थाना लिसाड़ी गेट मेरठ बताया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

(1). सद्दाम पुत्र आफाक निवासी नीलमणि कॉलोनी अर्थला पीर के पीछे गली न 4 थाना साहिबाबाद उम्र 20

(2). आसिफ पुत्र एहसान निवासी फदल्ले पुर रोड बाबू भारती गली नं 35 थाना लिसाड़ी गेट मेरठ उम्र 38

आपराधिक इतिहासः आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

लूटे गए 05 लाख रुपए, 02 अवैध देशी तमंचा 0.315 बोर, 04 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर, 04 खोखा कारतूस 0.315 बोर एवं एक बिना नंबर की स्पलेंडर मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

(1)-स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

(2)-स्वाट टीम, नगर जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

(3)-थाना वेवसिटी पुलिस टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

गौकशी/गौ-तस्करी पर पुलिस उपायुक्त ग्रामीण का कड़ा प्रहार: ग्रामीण जोन के समस्त थानों पर चलाया गया विशेष गौकशी/गौ-तस्करी के अपराधियों का सत्यापन व चेकिंग अभियान।

दिनांक 24.08.2026 को श्री सुरेंन्द्रनाथ तिवारी पुलिस उपायुक्त ग्रामीण के कुशल निर्देशन में ग्रामीण जोन के सभी थाना क्षेत्रों में गौकशी/गौ-तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु एक व्यापक एवं सघन सत्यापन/चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस विशेष अभियान के तहत ग्रामीण जोन के समस्त थाना प्रभारियों एवं पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध स्थानों, गौकशी/गौ-तस्करी के पूर्व अपराधियों के ठिकानों, हॉटस्पॉट्स और सीमावर्ती चेकपोस्टों पर एक साथ छापेमारी व चेकिंग की गई। अभियान के तहत चिन्हित आरोपियों को संबंधित थानों में लाकर गहन पूछताछ की गई। इस दौरान अपराधियों के डोजियर (Dossier) तैयार किए गए और उनके वर्तमान निवास, गतिविधियों और रोजगार का भौतिक सत्यापन पूरा किया गया।

सभी थानों द्वारा चैकिंग अभियान के दौरान गौकशी/गौ-तस्करी के किये गये भौतिक सत्यापन का संख्यात्मक विवरण:

1.थाना मसूरी- **30**
2.थाना मुरादनगर - **62**
3.थाना मोदीनगर- **00**
4.थाना भोजपुर- **41**
5.थाना निवाड़ी- **07**
6.थाना लोनी- **46**
7.थाना ट्रोनिका सिटी- **09**
8.थाना लोनी बॉर्डर- **07**
9.थाना अंकुर विहार- **07**

कुल सत्यापन = **209**

अभियान के मुख्य बिंदु एवं कार्यवाहियां:

गौकशों/गौ-तस्करों एवं अपराधियों का भौतिक सत्यापन: पूर्व में गौकशी/गौ-तस्करी, अवैध कटान व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल जा चुके अपराधियों और चिह्नित गिरोहों के सदस्यों के मौजूदा निवास व गतिविधियों का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया।

बीट पुलिसिंग एवं अभिसूचना तंत्र सक्रिय: बीट आरक्षियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गौकशी/गौ-तस्करी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर सतर्क नजर रखने और स्थानीय सूचना तंत्र मुखबिर को और मजबूत करने के कड़े निर्देश दिए गए।

स्थानीय नागरिकों से संवाद:

ग्रामीण क्षेत्रों के संभ्रांत नागरिकों एवं ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ संवाद स्थापित कर उनसे अपील की गई कि गौ-तस्करी या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।

"ग्रामीण जोन में गौकशी/गौ-तस्करी या किसी भी प्रकार के अवैध पशु परिवहन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वाले तस्करों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।"

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर व 02 अवैध खोखा कारतूस .315 बोर व 04 अवैध जिंदा कारतूस .315 बोर व घटना से सन्बन्धित एक स्पेलन्डर रंग काला बिना नम्बर प्लेट व लूटे गये 10,05,310/- रुपये नगद बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 22.08.2026 को श्री गिल्लमान निवासी मेरठ के लिखित प्रार्थना पत्र कि 3-4 अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा स्कार्पियों गाडी नं0 UK17AA7555 से आवेदक की गाडी को ओवरटेक कर व रुकवाकर तंमचे के बल पर आवेदक की गाडी के अन्दर रखे 24,85,000 (चौबीस लाख पिच्यासी हजार रुपये) लेकर वहा से भाग जाने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुई जिस पर तत्काल थाना वेव सिटी पर अन्तर्गत धारा 309(4) बीएनएस बनाम स्कार्पियों गाडी नं0 UK17AA7555 में सवार 3-4 अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तत्काल उक्त अज्ञात अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना वेव सिटी पर टीमो का गठन किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु लगभग 500 से 600 CCTV कैमरों की फुटेज चेक की गयी तथा संदिग्ध व्यक्ति व वाहन स्वामियों से पूछताछ की गयी तथा घटनास्थल का बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) का डाटा लेकर घटनास्थल के आसपास उस दौरान चल रहे मोबाइल नम्बरों का लोकेशन व मूवमेन्ट का विश्लेशण कर यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि घटना के समय कौन कौन लोग घटनास्थल के आसपास मौजूद थे।

तत्पश्चात दिनांक 25.08.2026 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि जिन व्यक्तियों ने दिल्ली मेरठ रोड पर HI TECH COLLEGE के सामने रोड से कार सवार व्यक्तियो से रूपयों की लूट की थी, उनमें से दो व्यक्ति डासना के पास से होकर जाने वाले है तथा अवैध हथियार भी लिये हुए है। इस सूचना पर थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. आसिफ पुत्र एहसान नि0 बाबू भारती गली न0 35 फतेहउल्लाहपुर रोड थाना लिसाडी गेट नीलमढी जिला मेरठ उम्र करीब 38 वर्ष 2. सद्दाम पुत्र आफाक नि0 नीलमढी कालोनी अर्थला थाना सहिबाबाद कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को 02 अवैध तमंचे .315 बोर व 02 अवैध खोखा कारतूस .315 बोर व 04 अवैध जिंदा कारतूस .315 बोर व घटना से संबंधित एक स्पेलन्डर रंग काला बिना नम्बर प्लेट व लूटे गये 05 लाख रूपये नगद के साथ आईएमएस कालेज कट के पास राजाजी रोड की तरफ से पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 109(1) बीएनएस(पुलिस मुठभेड) व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुनः आज दिनाँक 25.8.26 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि जिन व्यक्तियों ने दिल्ली मेरठ रोड पर HI TECH COLLEGE के सामने रोड से कार सवार व्यक्तियो से रूपयों की लूट की थी,उनमें से 03 व्यक्ति लूटी गये रूपयों के साथ कहीं जाने के लिये उस्मानगढी की तरफ से आ रहे है। इस सूचना पर थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 1- आस मोहम्मद पुत्र हबीब नि0- गली नं0 1, हज हाउस

कालोनी, न्यू हिण्डन विहार थाना साहिबाबाद गाजियाबाद 2- ओसामा पुत्र आफाक नि0- नीलमनी कॉलोनी अर्थला मोहन नगर थाना साहिबाबाद 3- नदीम पुत्र वाहिद नि0- नीलमणी कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से लूटे गये कुल 505310 नगद बरामद हुये अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ में बताया कि हमने दिनांक 21.08.2026 को शाम करीब 07 बजे HI TECH COLLEGE डासना के सामने दिल्ली मेरठ रोड से एक थार गाडी को अपनी सफेद रंग की स्कोर्पियो से ओवरटेक करके रूकवाकर उसमें सवार व्यक्तियो से 24,85,000 रूपये लूट लिये थे। इसके बाद अन्य गाडी स्विफ्ट व एक अर्टिगा और स्कोर्पियो से अलग अलग भाग गये थे। हम लोग शोएब , शान,चांद, , अनस उर्फ राजा , कामिल ,अनस उर्फ डी0के0 सहजाद ,चाचा,इतजार,अनस भी साथ थे और इस लूट की घटना को करने के लिए हमारे साथी आसिफ और आस मौहम्मद उर्फ मुल्ला जी ने कई दिन से इसकी रेकी की थी और हम सभी लोग इस दिन के इंतजार में थे कि जब हम सभी को पूरा इत्मीनान हो जाएगा तभी हम लोग इसको अंजाम देगें। दिनांक 21.08.2026 को हम सभी लोगों को आसिफ और आस मौहम्मद उर्फ मुल्ला जी ने पूरी पक्की सूचना दी और उस दिन हम सभी लोग इक्कठे हो गये और उस थार गाडी को रूकवाकर हम सब लोगो ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और तभी वहाँ से रूपये लेकर भाग गये थे। तब से हम सभी लोग पुलिस द्वारा पकडे जाने के डर से छिपे हुए थे और लूटे हुए रूपयों में से अपने अपने हिस्से के रूपये लेकर अपने अपने रस्ते निकलने की फिराक में जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- आसिफ पुत्र एहसान नि0 बाबू भारती गली न0 35 फतेहउल्लाहपुर रोड थाना लिसाडी गेट नीलमढी जिला मेरठ उम्र करीब 38 वर्ष
- सद्दाम पुत्र आफाक नि0 नीलमढी कालोनी अर्थला थाना सहिबाबाद कमि0 गाजियाबाद उम्र करीव 29 वर्ष
- आस मोहम्मद पुत्र हबीब नि0- गली नं0 1, हज हाउस कालोनी, न्यू हिण्डन विहार थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
- ओसामा पुत्र आफाक नि0- नीलमनी कॉलोनी अर्थला मोहन नगर थाना साहिबाबाद
- नदीम पुत्र वाहिद नि0- नीलमणी कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम उपरोक्त के विरुद्ध थाना वेव सिटी पर 01 अभियोग पुलिस मुठभेड़ तथा 01 अभियोग लूट का व थाना निवाडी पर चोरी के 03 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर मारपीट का 01 अभियोग पंजीकृत है।
अभियुक्त आसिफ उपरोक्त के विरूद्ध थाना वेव सिटी पर 01 अभियोग पुलिस मुठभेड़ तथा 01 अभियोग लूट का पंजीकृत है।
आस मोहम्मद के विरूद्ध 01 अभियोग पंजीकृत है।
ओसामा के विरूद्ध 01 अभियोग थाना वेवसिटी पर व 01 अभियोग थाना साहिबाद पर पंजीकृत है
अभियुक्त नदीम के विरूद्ध 01 अभियोग थाना वेवसिटी पर व 01 अभियोग थाना साहिबाद पर पंजीकृत है।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

- 02 अवैध तमंचा .315 बोर व 02 अवैध खोखा कारतूस .315 बोर व 04 अवैध जिंदा कारतूस .315 बोर व घटना से संवंधित एक स्पेलन्डर रंग काला बिना न0 प्लेट व लूटे गये 1005310 लाख रूपये नगद बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना वेवसिटी पुलिस टीम